



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./06/89/2025/एफ.सी.

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद-बागेश्वर में कांडा-मंतोली मोटर मार्ग से तल्ला टिपोला मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.413 है० ग्राम वन एवं सिविल सोयम भूमि का गैर-वानिकी कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर, उत्तराखण्ड के पक्ष में प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No-FP/UK/ROAD/35046/2018).

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक दिनांक 06.01.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के पत्र दिनांक - 06.01.2021 द्वारा उपरोक्त संदर्भित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिसमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दु पर आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. The SIR of DFO does not contains proposal details. Regarding a fresh SIR in revised/prescribed format is required.
2. As per the DSS analysis, the proposed diversion area calculated as 0.67 ha instead of 2.413 ha. In this regard, the User Agency shall upload a correct KML file.
3. As per the DSS analysis of CA area, the area is calculated as 4.41 ha instead of 4.426 ha. The DFO shall recheck and correct the KML file.
4. The user agency shall submit the full KML file of the proposed road alignment including forest area and non-forest area.
5. It is also observed that the muck dumping sites are proposed in forest land only, in this regard a detailed report of DFO for possibility of muck dumping sites in non-forest area shall be submitted.
6. The CA scheme is submitted as per the old rates. A revised CA scheme on current wage rates as per actual field position is required.

7. Prior taking the CA land, the State Forest Department shall ensure that the CA area has been properly fenced by the user agency. The user agency shall also submit an undertaking for the same.
8. The User Agency shall submit the Geologist report.

उपरोक्त में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।